भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4101

18.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

सी.पी.ओ. में कर्मचारियों की कमी

4101. श्री अच्युतानंद सामंत:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (सी.पी.ओ.) के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की लगातार कमी का सामना कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) 01.03.2020 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के 2697 संस्वीकृत पदों तथा केन्द्रीय मंत्रिमडल द्वारा पासपोर्ट सेवा परियोजना के परियोजना प्रबंधन ईकाई (पीएमयू) के लिए संस्वीकृत 21 पदों के निमित्त समूह 'क' स्तर पर 37, समूह 'ख' राजपत्रित स्तर पर 303 और समूह 'ख' अराजपत्रित और समूह 'ग' स्तर पर 589 पद रिक्त हैं।

(ख) सरकार ने पासपोर्ट कार्यालयों में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) कार्यालय सहायक, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक, सहायक अधीक्षक, कनिष्ठ अनुवादक और आशुलिपिको के पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को नियमित मांग भेजना। विभिन्न स्तरों पर 325 पदों के लिए एसएससी को मांग भेजी गई है। जिसमें से एसएससी से 87 डोजियर प्राप्त हुए हैं और हाल ही में उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं।

(ii) पासपोर्ट कार्यालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए रिक्त अराजपत्रित पदों के निमित्त अंतरिम उपाय के रूप में मंत्रालय ने एक आउटसोसर्ड एजेंसी से 361 डाटा एंट्री ऑपरेटरों और 60 मल्टी टास्किंग स्टाफ भाड़े पर लिए हैं।

(iii) पासपोर्ट कार्यालयों में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए, पात्र अधिकारियों की अगली श्रेणी में पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीसीपी) की नियमित बैठकें आयोजित की गई हैं।

(iv) उप पासपोर्ट अधिकारी और पासपोर्ट अधिकारी के भर्ती नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करना।

***